भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2546

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2025

हाथ से मैला ढोने वालों की स्थिति और उल्लंघनों पर कार्रवाई

2546. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में हाथ से मैला ढोने के काम में लगे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के काम के लिए हाथ से मैला ढोने वालों को नियुक्त किया है और ऐसी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में हाथ से मैला ढोने वालों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों या अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है और प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) केंद्र सरकार ने देश भर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने, मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने, पहचान किए गए मैला ढोने वालों के पुनर्वास और राज्य एवं स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्या उपाय अपनाए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बरसाती नालों की नियमित सफाई (गाद निकालने) के लिए अनुबंध किया है। इसलिए, "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के प्रावधान इस पर नहीं लागू होते हैं।

(घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)"के प्रावधान के अनुसार, 6.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना एक प्रतिबंधित गतिविधि है। उपरोक्त तिथि से कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर नहीं लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाती है और एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान के लिए 2013 और 2018 में दो सर्वेक्षण किए गए हैं और 58,098 पात्र मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान की गई है।

मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस), जिसे अब नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है, में चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

i. एकमुश्त नकद सहायता।
ii. वजीफे के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण।
iii. स्व-रोजगार परियोजनाओं और स्वच्छता संबंधी यंत्रीकृत उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी।
iv. एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला सतर्कता समितियां एमएस अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

*****